


31.01.2022:-आज यह पत्रावली वादी वकील के प्रार्थना-पत्र पर पेशी मे लिया गया। प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादिया की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार बुरडक द्वारा वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादिया अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वर्तमान मे इस प्रकरण मे राजीनामा हो जाने से इस प्रकरण को आगे नही चलाना चाहती। वादीया के अधिवक्ता ने फर्द अहकाम पर वादिया पाल कौर के हस्ताक्षर करवाकर कथन कि वाद-पत्र को वर्तमान स्तर पर ही खारिज किये जाने को कथन किया। वादिया की पहचान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार बुरडक द्वारा की गई। वादिया व उसके अधिवक्ता को सुना गया। अतः वादपत्र वादिया मौजूदा सूरत मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो ।

  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ

